

अंचल अधिकारी, छत्तरपुर (पलामू) का कार्यालय।

अभिलेख वाद सं०- 292/2016-1A

वाद का प्रकार:- बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत जाँच एवं कारवाई से संबंधित।

तिथि	आदेश फलक	अभ्युक्ति
3.9.2021	Covid-19 के तहत हुए लॉक डाउन के कारण अभिलेख उपस्थापित नहीं किया जा सका। प्रभारी प्रधान सहायक के द्वारा बतलाया गया कि अभिलेख संबंधित कर्मचारी के पास था। हस्तनान्तरण के पश्चात इनके द्वारा अभिलेख कार्यालय में जमा नहीं किया गया। प्रभारी प्रधान सहायक को निदेश दिया जाता है कि अभिलेख संधारण की कार्रवाई पुनः शुरू करें। अभिलेख दिनांक <u>3.10.2021</u> को उपस्थापित करें।  अंचल अधिकारी, छत्तरपुर।	
3.10.2021	अभिलेख उपस्थापित। झारखण्ड सरकार के ज्ञापांक 2074/रा0 दिनांक 13.05.2016 सह-पठित -श्री अनुप मुखर्जी निदेशक, भू- अर्जन-सह-विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्रांक सं०-3 खा०म०निति 119/85/2308/रा०, दिनांक 03.09.1985 एवं सह-पठित राजस्व विभागीय, परिपत्र सं०- 914/रा० दिनांक 09.12.1998 एवं विभागीय पत्रांक 1704/रा०. दिनांक 15/07/2020 में निहित निदेश के अनुपालन में गैरमजरूआ खास भूमि (किस्म <u>अनाबाद</u>) की कायम की गयी जमाबंदियों की जाँच प्रारंभ की गयी। जाँच के क्रम में हल्का राजस्व कर्मचारी एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि, निम्नांकित विवरणी की भूमि:- मौजा <u>कैकी खुर्द</u> थाना नं० <u>296</u> खाता सं० <u>25</u> प्लॉट सं० <u>—</u> रकबा <u>1.2.00</u> एकड़ की भूमि जो गत सर्वे में गैरमजरूआ मालिक किस्म <u>अनाबाद</u> अनाबाद बिहार/झारखण्ड सरकार के खाते की सरकारी भूमि है, जिसकी जमाबंदी उस मौजा के पंजी-11 के जिल्द सं० <u>II</u> के पृष्ठ सं० <u>69</u> पर जमाबंदी रैयत <u>मोतायभार</u> <u>पिता लाला यमाट</u> के नाम से कायम है। हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जाँचोपरान्त उपर्युक्त भूमि विवरणी के विरुद्ध कायम जमाबंदी को संदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है। हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उपर्युक्त जमाबंदी बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के आधार पर /सादाहुकुमनामा के आधार पर, कायम की गयी है, जिसका उद्देश्य निजी लाभ एवं राज्य को क्षति कारित करना है। प्रथम दृष्टया उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबंदी अवैध प्रतीत होती है, जिसका बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत जाँच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है। अतएव, संबंधित जमाबंदी रैयत को नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू-खण्ड से संबंधित	

मूल दस्तावेजों/निर्गत लगान रसीद की मांग करें तथा उनको कारण पृच्छा करें, कि क्यों नहीं उक्त जमाबंदी को अवैध मानते हुए इसे बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत सक्षम प्राधिकार को रद्द करने हेतु अनुशंसित किया जाय।

अभिलेख दिनांक 20.10.2021 को उपस्थापित करें।

अंचल अधिकारी,
छत्तरपुर।

20.10.2021 अभिलेख उपस्थापित।

नोटिस का तामिला प्राप्त। मांगधारी रैयत/उनके वंशज निर्धारित तिथि को उपस्थित हुए। इनके द्वारा अपने पक्ष में विहार भूदान यंत्र समिती द्वारा
निर्गत पत्राई क्रमांक 21-183265/709884

समर्पित किया गया है। इस संबंध में संबंधित राजस्व कर्मचारी को निदेश दिया जाता है कि प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों को एक सप्ताह के अन्दर गहनतापूर्वक जाँच कर अंचल निरीक्षक के माध्यम से चेक लिस्ट एवं जाँच प्रतिवेदन समर्पित करें।

अभिलेख दिनांक 21.01.2022 को उपस्थापित करें।

अंचल अधिकारी,
छत्तरपुर।

21.01.2022 अभिलेख उपस्थापित।

NH-98 के कार्यों में व्यस्तता के कारण अभिलेख उपस्थापित नहीं किया जा सका।
अभिलेख दिनांक 22.2.2022 को उपस्थापित करें।

अंचल अधिकारी,
छत्तरपुर।

22.02.2022 अभिलेख उपस्थापित।

NH-98 के कार्यों में व्यस्तता के कारण अभिलेख उपस्थापित नहीं किया जा सका।
अभिलेख दिनांक 22.03.2022 को उपस्थापित करें।

अंचल अधिकारी,
छत्तरपुर।

22.03.2022 अभिलेख उपस्थापित।

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में व्यस्तता के कारण अभिलेख उपस्थापित नहीं किया जा सका।
अभिलेख दिनांक 26.4.2022 को उपस्थापित करें।

अंचल अधिकारी,
छत्तरपुर।

26.4.2022 अभिलेख उपस्थापित।

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में व्यस्तता के कारण अभिलेख उपस्थापित नहीं किया जा सका।
अभिलेख दिनांक 26.6.2022 को उपस्थापित करें।

अंचल अधिकारी,
छत्तरपुर।

26.6.2022 अभिलेख उपस्थापित।

NH-98 के कार्यों में व्यस्तता के कारण अभिलेख उपस्थापित नहीं किया जा सका।
अभिलेख दिनांक 28.8.2022 को उपस्थापित करें।


अंचल अधिकारी,
छत्तरपुर।

28.8.2022 अभिलेख उपस्थापित।

सभी राजस्व उपनिरीक्षकों का हस्तान्तरण होने के कारण जाँच प्रतिवेदन अप्राप्त।
अभिलेख दिनांक 27.10.2022 को उपस्थापित करें।


अंचल अधिकारी,
छत्तरपुर।

27.10.2022 अभिलेख उपस्थापित।

जाँच प्रतिवेदन अप्राप्त रहने के कारण अभिलेख उपस्थापित नहीं किया जा सका।
अभिलेख दिनांक 30.12.2022 को उपस्थापित करें।


अंचल अधिकारी,
छत्तरपुर।

30.12.2022 अभिलेख उपस्थापित

राजस्व उप निरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त। संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक द्वारा प्रभारी अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा केसकी खुर्द मौजा नं० 296 खाता सं० 25 प्लॉट सं० 534/6 रकबा 1.07.28 किस्म जंगल खतियान के अनुसार गैरमजरूआ मालिक खाते की भूमि है। मांगधारी रैयत/ वंशज के द्वारा दिनांक 01/01/1946 के पूर्व का ठोस राजस्व कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया है। चूंकि उक्त प्लॉट का किस्म जंगल दर्ज है, अतः जमाबंदी को नियमितिकरण नहीं किया जा सकती है। उक्त के आलोक में अवैध जमाबंदीदार जोगा चमार पिता जोगा चमार के नाम से पंजी-II में कायम जमाबंदी सं० 69/स को रद्द करने की अनुशंसा की गयी है।

अतः राजस्व उपनिरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत पंजी-II में कायम जमाबंदी सं० 69/स को रद्द करने हेतु अनुशंसा के साथ अभिलेख मूल में भूमि सुधार उप समाहर्ता, छत्तरपुर के माध्यम से अपर समाहर्ता, पलामू को भेजें।
लेखापित एवं संशोधित।


अंचल अधिकारी,
छत्तरपुर।


अंचल अधिकारी
छत्तरपुर।

संदिग्ध / संदेहास्पद जमाबंदी संबंधी जाँच प्रतिवेदन।

1. संदिग्ध / संदेहास्पद जमाबंदी रैयत का नाम :- जंजा चमार, पिता- बाला चमार
2. जमाबंदी से संबंधित भूमि का विवरणी जमाबंदी पंजी II के जिल्द संख्या 71 पृष्ठ सं: 69 पर कायम है।

मौजा	थाना नं.	खाता सं.	खसरा सं.	रकबा
<u>केरनापुर</u>	<u>296</u>	<u>25</u>	<u>-</u>	<u>1.00</u>

3. जमाबंदी किस वर्ष कायम है :- दर्ज नहीं है।
पंजी II के अनुसार वर्ष 1981 से जमाबंदी रखा किया है।
4. खतियान के अनुसार उपरोक्त भूमि के खानेदार का नाम :- जैराजराज, मांगिक जिस, खरिमान
किष्म जंगलभाई दर्ज है।
5. किस सक्षम प्राधिकार / पदाधिकारी के आदेश से जमाबंदी कायम की गयी है :- दर्ज नहीं है।
6. यदि संदेहास्पद जमाबंदी नामांतरण द्वारा स्थापित है तो मूल जमाबंदी रैयत का नाम :-

7. मूल जमाबंदी कायम किये जाने का आधार
(अनिबंधित सादा हुकूमनामा / लगान निर्धारण / अवैध भू-बंदाबस्ती) :- मूल जमाबंदी में जमाबंदी संख्या
का आधार दर्ज नहीं है। पंजी II में खाने 31.03.81 के प्रथम मसौदा संख्या 388945
निर्गत करने में प्रतिकूल है।
8. संदेहास्पद जमाबंदी की जाँच किस राजस्व अभिलेख से की गयी
(भूतपूर्व जमीनदार दाखिल रिटर्न / बंदाबस्ती पंजी / लगान निर्धारण पंजी / भू-हस्तांतरण पंजी)
हस्ता. मुख्यालय में उपलब्ध खतियान में खाने 25. दिसंबर-83 का किष्म
जंजा चमार दर्ज है। मांग पंजी II में जमाबंदी जंजा चमार पिता- बाला चमार
के नाम से पंजी-II के पृष्ठ संख्या 69 पर दर्ज है। जमाबंदी कायम
होने का आधार दर्ज नहीं है।

9. संदेहास्पद जमाबंदी में लगान रसीद संख्या एवं वर्ष :-

क्र. सं.	लगान रसीद सं.	रसीद निर्गत तिथि	वसूली वर्ष
<u>1</u>	<u>388945</u>	<u>31.03.81</u>	<u>1980-1981</u>

संदिग्ध जमाबंदी से संबंधित अंचल स्तर पर भरा जाने वाला चेक-लिस्ट

1. जिला एवं अंचल का नाम - जिला - पल्लार अंचल - श्री हनुमट

2. अवैध जमाबंदीदार का नाम एवं भूमि का विवरण :-

जमाबंदीदार का नाम	मौजा	थाना नं.	खाता नं.	खसरा नं.	रकबा	खतियानी प्रविष्टि	किस्म जमीन
उज्ज्वल चमार	केरु 296	296	25	532	1.00	उत्तराधिकारी	जंगलमाही
S/O. वाला चमार							

3. भूमि का वर्तमान स्वरूप :- जंगलमाही

4. अवैध जमाबंदी पंजी-II में कब से संधारित है? :- दर्ज नहीं है।
पंजी-II के अनुसार वर्ष 1981 में
सरकारी मालीक निर्धारित है।

5. उक्त जमाबंदी पंजी-II में दर्ज करने वाले
कर्मचारी/पदाधिकारी का नाम (पदाधिकारीयों
के उत्तराधिकार पट्टा में अंकित नाम के अनुसार
तथा कर्मचारी/कर्मों का नाम अंचल कार्यालय में
संधारित सेवा इतिहास पंजी से पता कर उल्लेखित करें) :-

6. नामान्तरण/दाखिल - खारिज के उपरान्त संधारित जमाबंदी
के मामलों में मूल जमाबंदी रैयत की विवरणी :-

7. अवैध जमाबंदी कायम किये जाने का आधार
(क) अनिबंधित सादा हुकुमनामा :-

(ख) लगान निर्धारण तथा उसका वर्ष
(वाद संख्या एवं पारित अदेशानुसार) :-

(ग) अवैध भू-बंदोबस्ती (वाद संख्या के साथ) भूदान सहित :-

8. सादा हुकुमनाम की स्थिति में तथा-कथित सादा पट्टा या हुकुमनामा
में अंकित मूल्य (100/-रुपये से कम या इससे अधिक) :-

जमाबंदी कब्जा होने का
आधार दर्ज नहीं है।

अवैध जमाबंदी की जाँच किरा राजस्व अभिलेख से की गई है :-
(क) भूतपूर्व जमींदार द्वारा वाखिल रिटर्न से :-

(ख) अंचल / अनुमंडल में स्थापित बंदोबस्ती पंजी से :-

(ग) वाखिल-खारिज / भू-हस्तांतरण / नामांतरण पंजी से :-

हल। मुख्य
में उपलब्ध है
II से

10. (क) अवैध जमाबंदी क्या दिनांक-01.01.1946 के पूर्व से कायम है :- नही

(ख) क्या दिनांक-01.01.1946 के पूर्व भूतपूर्व जमींदार द्वारा निर्गत
जमीनदारी रसीद साल-दर-साल निर्गत है? :-

मांगदा द्वारा प्रस्तुत
नही किया गया।

11. क्या दिनांक-01.01.1946 के बाद से 1955-56 तक जमीनदारी रसीद
तथा उसके बाद सरकारी राजस्व रसीदें लगातार निर्गत है? :-

जमींदार रसीद
प्रस्तुत नही किया
गया। पंजी II के अनुसार
वर्ष 1981 में सरकार
रसीद निर्गत है।

12 वर्ष 1954-55 में हुए फिल्ड - बुझारत पंजी में दखल-कब्जा अवैध
जमाबंदीदार अथवा उनके पूर्वजों का नाम अंकित था? :-

नही

13. राजस्व उप-निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन स्पष्ट अनुशंसा सहित

उपरोक्त भूमि की मूल जमाबंदी में जमाबंदी कायम होने का आधार दर्ज
नही है। वर्तमान में मांग गंगा-यमारा पिता बाला-यमारा के नाम से पंजी
II के पेज नं० 69 पर दर्ज है। यह भूमि गत वर्ष के अनुसार औरमजरा
मालिक बाला है जिसका किया जमाबंदी है। यदि मांगदा को
ले करमांक 2 पर वर्णित भूमि की जमाबंदी रद्द करने की अनुशंसा
किया जाता है।

14. अंचल निरीक्षक का स्थलीय जाँचोपरांत मंतव्य सहित स्पष्ट प्रतिवेदन :-

करमांक-2 पर वर्णित भूमि की तारिख जमाबंदी में जमाबंदी कायम
होने का आधार दर्ज नही है। यह भूमि गत वर्ष के अनुसार औरमजरा
मालिक बाला की है। जिसका किया जमाबंदी है। वर्तमान में मांग गंगा
यमारा पिता बाला यमारा के नाम से पंजी II के पेज नं० 69 पर दर्ज है।
यदि मांगदा को उपरोक्त वर्णित भूमि की जमाबंदी रद्द करने की
अनुशंसा किया जाता है।

अंचल अधिकारी, भूमि-सुधार उप समाहर्ता,
छत्तरपुर।

अनुमंडल पदा,
छत्तरपुर।

अपर समाहर्ता,
पलामू।

उपायुक्त,
पलामू।

कार्यालय, अंचल अधिकारी, उत्तरपुर (पलामू)।

वाद अभिलेख सं० 292 / 2014/2 (अन्तर्गत धारा 4(h). BLR Act, 1950)

सूचना

बनाम श्री गंगा प्रसाद विना काका

सुभाष - कोली लुई

पत्नी - चरणपुत्र, पलामू

एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि मौजा कोली लुई थाना नं० 298 खाता सं० 25 खेसरा नं० 0 रकबा 1.10 से संबंधित आपके नाम से ह० नं० II के पंजी-II भाग II के पृष्ठ 8.9 पर दर्ज जमाबंदी प्रथम दृष्टया राजस्व उपनिरीक्षक नें अंचल निरीक्षक के माध्यम से जाँचोपरान्त संदिग्ध प्रतिवेदित किया है।

अतएव आप उक्त संबंध में दिनांक 20.10.2021 को समय 11.00 बजे पूर्वाह्न में उक्त भूमि का रिटर्न-1, भूमि बन्दोबस्ती से संबंधित हुकुमनामा, भूतपूर्व जमींदार द्वारा निर्गत जमींदारी रसीदों, निर्गत परवाना एवं अन्य ठोस साक्ष्यों की मूल प्रति/सत्यापित प्रति जो आपके उक्त भूमि पर दावे की पुष्टि करता हो, के साथ अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय प्रकोष्ठ में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें।

सनद रहे कि अन्यथा कि स्थिति में समझा जायेगा कि उक्त संबंध में आपको कुछ नहीं कहना है तथा उपलब्ध दस्तावेज/साक्ष्यों के आधार पर समुचित निर्णय पर पहुँचते हुए दर्ज जमाबंदी के संबंध में युक्ति-युक्त निर्णय लेते हुए विधिसम्मत अनुशंसा कर दी जायेगी।

इसे सख्त ताकिए जानें।



13/10/21

अंचल अधिकारी,
उत्तरपुर।